

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ ४४४५

जयपुर दिनांक 24/8/2016

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वा.शा. /1995/5944 दिनांक 29.08.2007 को अतिक्रमित करते हुए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिकाओं क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 102 उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट,
2. 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर,
3. 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर निर्मित 1500 वर्गफीट (Built up Area) तक के आवासीय फ्लेट।
4. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां,
5. केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवं प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
6. निम्नलिखित प्रयोजन हेतु उपयोग में आ रही भूमि/भवन :-
 - (i) अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेशनर्स रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
 - (ii) अपाहिज, अपंग, मूक-बधिर, अंध विद्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
 - (iii) गोशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र रैन बसेरा आदि
 - (iv) सार्वजनिक जल केन्द्र, (प्याउ) सार्वजनिक मूत्रालय एवं शौचालय
 - (v) प्रेसक्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)
7. राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थाएं
8. 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू-खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built up Area) निर्माण हो, परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पुरुषोत्तम बियाड़ी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

जयपुर दिनांक 24/8/2016

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ ४४४५-१३५५
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर

02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिक्षाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5513 दिनांक 29.08.2007 एवं नगरीय विकास कर के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त आदेशों/परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त except agriculture land) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्गृहीत किया जावेगा:-

1. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा:-

(अ)-आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:-

भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
2000		

(ब)-बहुमंजिला भवनों में फ्लैट हेतु कर की गणना निर्मित तलक्षेत्र (Built up floor Area) के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी:-

तल क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
2000		

(स)- संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणना:-

भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की संस्थानिक/ औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
2000		

(द)- व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :-

भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	X	क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)
2000		

2. नगरीय विकास कर भूमि /निर्मित भवन के क्षेत्र पर, वार्षिक आधार पर एवं इकाई आधार पर निम्नानुसार देय होगा:-

- i. कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की 1 अप्रैल को प्रभावी डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
- ii. जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
- iii. करदाता द्वारा स्वयं कर का स्व निर्धारण किया जा सकेगा।
- iv. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा। आवंटन चाहे किसी भी उपयोग के लिये हो।
- v. कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
- vi. स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
- vii. प्लेट पर कर निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।
- viii. विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को प्लेट मानकर किया जावेगा।
- ix. वाणिज्यिक/औद्योगिक /संस्थानिक परिसरो में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजो में) जो भी अधिक हो के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- x. ऐसे आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहां एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्ति हो, उनके पृथक-पृथक निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजो में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- xi. 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भूखण्डो पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area), के आधार पर पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- xii. 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- xiii. केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- xiv. यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपकर्मों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

3. 300 वर्गगज तक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्ड जिन पर आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक निर्माण के अतिरिक्त 900 वर्गफूट से कम का व्यावसायिक निर्माण है, कर मूक्त रहेगे। परन्तु उक्त श्रेणी के भूखण्डो में 900 वर्गफूट से अधिक का व्यावसायिक उपयोग होने की स्थिति में व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।

4. 300 वर्गगज से अधिक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक उपयोग के भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से कम है, के मामले में केवल आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से ही कर देय होगा। लेकिन व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से अधिक होने की स्थिति में भूखण्ड के लिये आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से कर वसूल किये जाने के साथ-साथ समस्त व्यावसायिक उपयोग के क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।

5. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 120 के अनुरूप भूमि, भवन स्वामी अथवा उस सम्पत्ति के वास्तविक अधिभोगी/किरायेदार भी नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा एवं किसी परिसर में एक से अधिक यूनिट होने पर केवल उन्हीं यूनिटों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है।

6. भूखण्ड पर रिहायशी परिसर/कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्मित होने के पश्चात् उक्त रिहायशी परिसर/कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स के संबंधित क्रेताओं से (भिन्न-भिन्न स्वामित्व) के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जायेगा तथा क्रेता पृथक-पृथक नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा।

7. ऐसे भूखण्ड जिन पर आवासीय/व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु अलग-अलग यूनिटों के रूप में निर्माण कर लिया गया है तो ऐसे परिसरों में विक्रय की गई यूनिटों की सूची भू-स्वामी द्वारा संबंधित निकाय को प्रस्तुत करने पर अलग-अलग यूनिट का कर निर्धारण फ्लोर वाईज प्रभावी डीएलसी दर के अनुरूप निकाय द्वारा किया जायेगा।

8.

(i). भूमि के स्वामी/अधिवासी द्वारा कर का स्वयं निर्धारण करते हुए नगर पालिका के काउन्टर अथवा ऑन लाईन सीधे ही राशि जमा कराई जाकर जमा राशि का दस्तावेज संबंधित नगर पालिका में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii). जिन कर देयता सम्पत्तियों का स्व:निर्धारण से कर जमा नहीं हुआ हो तो उनको चिन्हित करने के लिये सर्वे करवाया जावेगा। संबंधित नगर पालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत मामलों में जाँच करेगा और जाँच में स्व: कर निर्धारण से अधिक कर देय होना पाया जाने पर सम्पूर्ण देय कर की राशि से अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के अन्तर्गत पैनेल्टी के रूप में राशि वसूलनीय होगी।

(iii). बजट होटल व 1,2 व 3 स्टार होटलो पर निर्मित क्षेत्रफल पर औद्योगिक दर प्रभावी होगी जबकि 4 व 5 स्टार होटलो हेतु निर्मित क्षेत्रफल पर कर की दर औद्योगिक कर का दुगना होगी किन्तु सभी श्रेणी के होटलों में खाली भूमि पर औद्योगिक दर का 50 प्रतिशत देय होगा।

(iv). हेरिटेज होटल/सम्पत्तियों पर कर की गणना निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक दर के बराबर मान कर, की जायेगी तथा उक्त सम्पत्तियों पर स्थित खाली भूमि पर कोई कर देय नहीं होगा।

(v). पंजीकृत मनोरंजन क्लब के निर्मित क्षेत्रफल पर संस्थानिक दर प्रभावी होगी किन्तु खाली भूमि पर संस्थानिक दर का 50 प्रतिशत कर देय होगा।

पंजीकृत क्लब से आशय ऐसे क्लबों से है जो अपने सदस्यों के सामाजिक कार्यक्रमों एवं क्लब के उद्देश्य अनुसार क्लब की सम्पत्ति को उपयोग में लेते हैं तथा ऐसे क्लब व्यावसायिक उपयोग नहीं करते हैं।

- (vi). समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं समस्त अस्पताल (चिकित्सालय), डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवं रोग निदान केन्द्र के केवल निर्मित क्षेत्रफल पर ही कर की गणना संस्थानिक दर के आधार पर की जावेगी।
- (vii). धर्मशाला/सराय/मुसाफिरखाना पर आवासीय दर का (बीस) 20 प्रतिशत नगरीय विकास कर देय होगा।
- (viii). रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार की ईकाईयां पर नगरीय विकास कर देय नहीं होगा। परन्तु ऐसे भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक परिसर, शौरूम, दुकान, सिनेमा, मल्टिप्लेक्स, शैक्षणिक, आवासीय परिसर, निर्मित कर लिये गये हैं तो उन पर उपयोग के अनुसार नगरीय विकास कर देय होगा।
- (ix). प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रैल को प्रभावी डी.एल.सी दर के आधार पर ही पूरे वर्ष का कर निर्धारण किया जायेगा। डीएलसी दर में 1 अप्रैल के पश्चात् परिवर्तन होने पर भी 1 अप्रैल को प्रभावी दर ही लागू रहेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रैल को नगरीय विकास कर देय हो जायेगा। उक्त कर नगरीय निकाय में जमा कराने की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-
- (क) 1 अप्रैल से 30 जून तक कर जमा करवाने पर देय कर में 10 प्रतिशत एवं 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। करदाता स्वयं के स्तर से देय कर में से उपरोक्त छूट राशि कम करते हुए जमा करा सकेंगे। 30 सितम्बर के पश्चात् कोई छूट देय नहीं होगी।
- (ख) ऐसी सम्पत्तियां जिनका स्वामित्व महिलाओं के नाम पर है उन्हें कर में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जावेगी। यह छूट अवधि पूर्व (30 सितम्बर तक) जमा कराये जाने वाली कर राशि की छूट से अतिरिक्त होगी।
- (ग) 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक कर जमा कराने पर उक्त कर में कोई छूट देय नहीं होगी।
- (घ) 31 मार्च तक उक्त कर की राशि जमा नहीं कराने पर राजस्थान नगरपालिका नगरीय विकास कर नियम, 2016 के अनुसार शास्ती वसूलनीय होगी।
- (x). नगरीय भूमि व भवनों पर कर के निर्धारण हेतु किसी भी भूमि/भवन के उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक) का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा। निम्नांकित सूची केवल भूमि एवं भवन की प्रकृति निर्धारण एवं कर निर्धारण के उपयोग हेतु ही मान्य होगी। विभिन्न गतिविधियों एवं उपयोग के आधार पर भवन एवं भूमि पर कर निर्धारण हेतु भूमि एवं भवनों की प्रकृति निर्धारण हेतु सूची:-


भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं उपयोग
आवासीय	फार्म हाऊस, स्वतंत्र आवास/फ्लेट्स/गुप हाउसिंग एवं ऐसे समस्त परिसर जिन्हे केवल आवासीय प्रयोग में लिया जा रहा है तथा गेस्ट हाऊस/पैइंग गैस्ट/होस्टल
व्यावसायिक	ऐसे समस्त परिसर जिनमें व्यावसायिक गतिविधि संचालित है जिसमें सभी प्रकार की थोक एवं खुदरा दुकाने/शौरूम/गौदाम/वर्कशॉप/सिनेमा/मल्टिप्लेक्स व अन्य व्यापार, व्यावसायिक उपयोग के स्थल एवं रेस्टोरेन्ट, केफेटेरिया, बार एवं बैंकेट हॉल जो होटल परिसर में संचालित नहीं है मैरिजगार्डन,

संस्थानिक भवन	समस्त शैक्षणिक संस्थान, समस्त अस्पताल (चिकित्सालय) एवं रोग निदान केन्द्र, संग्रहालय, कला दीर्घा प्लेनेटोरियम, महिला सदन, विभिन्न समाज/समुदाय द्वारा संचालित एवं राजस्थान आवासन मण्डल, प्राधिकरण, नगर विकास न्यास द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर, निजी कोरियर सेवा, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंचार टावर एवं स्टेशन, गैस बुकिंग/सप्लाइ स्थान, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला, कोचिंग सेन्टर, भारत सरकार/राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां एवं इनके अधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रम/कम्पनीयां/निगम /बोर्ड के कार्यालय/आवास/गोदाम एवं अन्य परिसम्पत्तियां
औद्योगिक	समस्त प्रकार के उद्योग जो औद्योगिक प्रक्रिया से जुड़े हुये हैं एवं राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाई के रूप में रजिस्टर्ड हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के होटल एवं होटल परिसर में संचालित रेस्टोरेन्ट, केफेटेरिया, वैंकेट-हॉल भी शामिल हैं।

- (xi). नगरीय निकाय उक्त कर की वसूली स्वयं अपने संसाधनों से कर सकेगे अथवा किसी एजेन्सी को रिकार्ड संधारित करने, प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर संशोधित करने, रिकार्ड कम्प्यूटराईज करने, मांग पत्र जारी करने, सर्वे करने एवं अन्य संबंधित कार्य नगर पालिका के अधीन रहते हुए किये जाने के लिये अधिकृत कर सकेगी।
- (xii). कर दाता सीधे ही नगरीय निकायों को उक्त कर अदा कर सकेगा तथा कर की अदायगी को सुविधाजनक बनाये जाने के लिये नगरीय निकाय यथा सम्भव क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, बैंक खाता ऑन लाईन जमा कराने की प्रक्रिया इत्यादि साधनों से राशि अदा किये जाने के संबंध में प्रावधित करेगी। नगरीय विकास कर सभी नगरीय निकायों द्वारा वसूल किया जाना अनिवार्य होगा।
- (xiii). नगरीय विकास कर की देयता भूमि का स्वामित्व अथवा भू-उपयोग निर्धारित नहीं करती है। यह कर मौके पर भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर देय है।
- (xiv). नगरीय विकास कर की गणना भूमि/भवन के उपयोग के आधार पर की जाती है। यदि भूमि/भवनो के प्रकृति एवं उपयोग की श्रेणी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त विवाद का अन्तिम विनिश्चय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पुरुषोत्तम बियाप्पी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 9357-9826

जयपुर दिनांक 24/8/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर

02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिसूचना अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

कि प्रमाण कि प्रमाण

(निदेशक निदेशालय)

कनिष्ठ सहायक आधीनी एच काइईनी

01/02/2016 कांन्नी प्रमाण

2589-2288 \01\निदेशक\निदेशक(1)08 प

-ई कनिष्ठ वृद्ध निदेशक काइईनी एच आन्नुकु विनिर्देश

प्रमाण अन्नुकु निदेशक प्रमाण निदेशक प्रमाण, 10

प्रमाण अन्नुकु निदेशक प्रमाण निदेशक प्रमाण आधीनी 50

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LOCAL SELF GOVERNMENT, DEPARTMENT**

No. F.8(G)(3)(Rules)/DLB/2010/ 9828

Jaipur, Dated: 24/8/16

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 337 read with clause (a) of sub-section (1) of section 102 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Municipalities (Urban Development Tax) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from 1st April 2016.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise require,-

- (a) "Act" means the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (b) "Agent" means a person authorized in writing by an owner or occupier of any building or land or both to act on his behalf;
- (c) "Appellate Authority" means any authority or officer referred to in section 121 of the Act;
- (d) "Assessor" means an assessor appointed under section 113 of the Act;
- (e) "Form" means a form appended to these rules;
- (f) "Person primarily liable" means the person who is liable to pay tax under section 120 of the Act.
- (g) "Section" means a Section of the Act;
- (h) "Urban Development Tax" or "Tax" means the tax imposed on building or land or both under clause (a) of sub-section (1) of section 102 of the Act; and
- (i) "Year" means the financial year commencing from the first day of April, to which tax relates.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Levy of Tax.- Every municipality shall collect tax, from the person primarily liable to pay the tax, on lands and buildings situated in the municipal

limits at such rate and from such date as may be specified in the notification issued by the State Government, from time to time, under section 102 of the Act.

4. Preparation of assessment list.- (1) An assessment list for the purpose of levying the tax shall be prepared ward wise/circle wise/area wise in Form-I.

(2) For the purpose of assessing the amount of the tax payable in respect of any building or land or both, assessor may-

- (a) enter upon or into, to inspect and measure any building or land or both, and;
- (b) make enquiries from the people living in neighborhood and examine the previous record of the Municipality or other local authority in relation to such building or land or both, if necessary.

(3) When the name of the person primarily liable for the payment of tax cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in assessment list and in any notice which it may be necessary to serve upon him as the holder of the building or land or both, without any further description.

(4) Where any building or land or both liable as a whole to payment of the tax is composed of separate tenements, the assessor may, upon the request of the owner of any such tenement, determine the tax for each such tenement separately and assess the amount of tax payable in respect thereof.

5. Procedure to deposit of tax.- (1) The Chief Municipal Officer of the Municipality shall issue a public notice in Form-II within fifteen days from the date of order issued by the State Government under section 102 of the Act, calling upon the owners/occupiers of building or land or both, to submit self-assessment returns in Form-III. Such notice shall be also affixed on the notice board of the office of the Municipality.

(2) The person primarily liable to pay tax shall assess the tax payable by him and deposit the tax in bank account of the Municipality or in the office of the Municipality. After depositing the tax, self- assessment return in Form-III duly and correctly filed in, along with a copy of challan or receipt of tax deposited, shall be submitted by him in the office of Municipality, in person or by post or by transmitting them through online e-governance system.

(3) If the owner/occupier does not submit correct self-assessment return or fails to submit the self-assessment return as required under sub-rule (1) and (2) above, the

Chief Municipal Officer /Assessor or the Officer authorized in this behalf, as the case may be, may-

- (a) enter upon or into, inspect and measure any building or land or both;
- (b) make enquiries from the people living in neighborhood and examine the previous record of the Municipality or other local authority in relation to such building or land or both, if necessary; and
- (c) assess the tax and recover the same from the defaulter.

(4) Five percent cases of self assessment returns of tax shall be scrutinised/ examined by the Chief Municipal Officer, Assessor or the Officer authorized by the State Government.

6. Payment of tax and penalty.- (1) The tax shall be payable during the financial year for which tax relates.

(2) After the expiry of the financial year penalty at the rate of 10% per annum shall be levied on the amount due.

7. Statement of new building.- Every Assessor or any other officer authorized by the Chief Municipal officer, shall prepare half yearly statement showing building or land within the area which have been newly constructed or reconstructed or enlarged or converted or developed. The copy of such statement shall be submitted to the Chief Municipal Officer.

8. Repeal and savings.- The Rajasthan Municipalities (Urban Development Tax) Rules, 2007 is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken or right, privilege, obligation or liability acquired or incurred, penalty imposed, forfeiture or investigation made or legal proceedings pending under the rules so repealed.

Provided further that such repeal shall not affect the previous operation of the rules, so repealed.

By Order of the Governor



(Purushottam Biyani)
Director and Special Secretary
Local Self Government Department

Form-I

[see rule 4 (1)]

Assessment list

..... Municipal board/Council/Corporation

District.....

S. No.	Ward No.	Address of the property with number, Sector number, name of building, name of street, mohalla, colony etc.	Name and address of the owner	Name of the occupier	Total area of the land (in sq. Yards)	Constructed/ Built up area (in sq. Yards)
1	2	3	4	5	6	7

Actual use of land/ constructed area	Taxable Area (in sq. Yards)	Market value assessed as per provisions of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 (Per Sq. meter)	Tax payable use wise (in Rs.) Column 9x10/2000	Total tax (Total of Column 11)	Result of appeal, if any amount of tax payable	Remarks
8	9	10	11	12	13	14

Form-II

[see rule 5 (1)]

Office of the Municipal Corporation/Council/Board/.....

Public Notice

In pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Rajasthan Municipalities (Urban Development Tax) Rules, 2016, it is hereby informed that tax under section 102 of the Rajasthan Municipality Act, 2009, is leviable vide notification No.....Dated..... issued by the State Government on buildings and lands situated in the area of Municipality.

Now every owner/occupier of such building and land is required to submit in each financial year duly and correctly filled self assessment return in Form-III appended to the Rajasthan Municipalities (Urban Development Tax) Rules, 2016 and assess the tax and deposit the same in the bank account no.....of the Municipality or office of the Municipality and file return in Form-III in the office of the Municipality, in person or by post or by transmitting them through online e-governance system.

Commissioner/Executive Officer

Form-III

[see rule 5 (1) & (2)]

FORM FOR SELF ASSESSMENT OF URBAN DEVELOPMENT TAX

To,
Commissioner/Executive Officer,
Municipal Corporation/Council/Board,
.....

For Office Use

Receipt No.

Date:

Signature of Clerk

**Part-I
(General Information)**

1.	Assessment year:		
2.	A.	Name of owner/occupier of Building and Land:	
	B.	Profession: Service/Business/House Wife/Other:	
	C.	Age:	
	D.	Telephone No.: Office:	Residence: Fax
	E.	Present Address/Postal Address: Email Address (if any):	
3.	Address of Building and Land:		
	i	Ward No.:	
	ii	Name of Mohalla/Colony:	
	iii	Plot/House/Shop No.:	
	iv	Name of complex/Building:	
	v	Name of Street:	
	vi	Sector No. (if any):	

	vii	Name of city:	
4. Particulars of previous year- tax deposited:			
	i	Last assessment year:	
	ii	Assessed tax of that year:	
	iii	Particulars of tax deposited:	
5. Information about:			
	i	weather building is built or enlarged or rebuilt after pervious assessment year:	
	ii	if answer of Para (i) above is in yes than particulars of notice given under section 115 of the Act:	
	iii	weather land or building or both is transferred or acquired after precious financial year:	
	iv	if answer of Para (iii) above is in yes, than the particulars of notice given under section 116 of the Act:	

Part-II

6. Particulars of Building and Land:										
	1.	(A) Total Area of the land (in square yards):								
		(B) Vacant Area of land (in Square yards):								
		(C) Plinth Area (in Square yards):								
		(D) Total built-up Area (in Square yards/feet):								
		(E) Number of floors/stories built:								
	2.	Use of Building and land with floor-wise area:								
		Use of land	Detail of floor area (in Square feet)							
			Under Ground	Ground floor	First floor	Second floor	Third floor	Total	
		Residential								
		Commercial								
		Institutional								

	Industrial							
	Miscellaneous							

Note: In case of more than three floors, extra columns shall be filled in.

Part-III

7.	S. No.	Particulars	Area	Market value assessed as per provisions of the Rajasthan Stamp Rules, 2004	Amount payable	Total tax payable
	1	2	3	4	5	6
	1.	Constructed area (Sq. yards)				
		(A) Residential:				
		(B) Commercial:				
		(C) Institutional:				
		(D) Industrial:				
	2.	Open/Vacant Land (Sq. yards (Not Applicable for high-rise/ residential/ commercial complex				
	Total					

Note:

1. Owner/Occupier is required to fill up the self assessment form every year separately for each of the properties, owned or occupied by him.
2. The Owner/Occupier shall, before filling up the self assessment form, go through the notification, issued by the State Government under section 102 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009.
3. If Building or Land used for more than one purposes than the portion used for each purpose must be indicated in Part-III.
4. Rates for calculation of Tax for complete vacant land will be applicable as per actual use or permitted use, whichever is higher.

5. In case of mix use/multiuse of a property, rates of tax will be applicable as per the actual use treating it as a single plot.
6. If the tax is deposited in the bank than the Form-III shall be filled in triplicate out of which one copy is being retained by the bank and one copy is being send to Municipality and one copy shall returned to the owner/occupier along with receipt of tax deposited.
7. If the tax is deposited directly in the office of the Municipality than Form-III shall required to be filled in duplicate of which one copy is retain by the Municipality and office copy is returned to the owner/occupier along with receipt of tax deposited.
8. If the tax is deposited online through e-governance system than the one hard copy of Form-III along with receipt of tax deposited shall be sent to the Municipality.

Signature of Applicant
(Name)
Owner/Occupier
Authorized representative

By order of the Governor,



(Purushottam Biyani)
Director and Special Secretary
to the Government

Jaipur, Dated: 24/8/16

NO.F.8(Ga)(3)(Rules)DLB/10/ 9829-10260

Copy to the following for information and necessary action:-

01. P.S. to Hon'ble Chief Minister, Government of Rajasthan
02. P.S. to Chief Secretary, Government of Rajasthan
03. P.S. to Hon'ble Minister, Local Self Government Rajasthan.
04. P.S. to Principal Secretary, Local Self Government Department.
05. P.S. to Principal Secretary, Finance Department
06. Divisional Commissioners/District Collectors All Rajasthan
07. P.S. to Senior Joint Legal Remembrance, Director Local Bodies Jaipur
08. Mayor/President/Chairpersons Municipal Corporation/Council/Board
09. Commissioner/Executive Officer Municipal Corporation/Council/Board
10. Director/Superintendent Central Govt. Press Jaipur for publication in the next Extra Ordinary Gazette and sending 100 copies to the Department.
11. Guard file.


(Ashok Kumar Singh)
Senior Joint Legal Remembrancer
Local Bodies Jaipur